क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

278
सितम्बर
2002

शाखा बैंकिंग

अपने ग्राहक को जानिए

अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) सिद्धांत के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के बारे में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसी प्रणालियां और क्रिया-विधियां अपनायें जिनसे वित्तीय धोखाधड़ी, काले धन को वैध बनाये जाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने तथा भारी नकदी लेनदेनों की जाँच/निगरानी करने में मदद मिल सके। रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को सूचित करता रहा है कि वे नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें, ताकि धोखाधड़ी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग न हो सके। आपराधिक गतिविधि (जमा और ऋण खातों, दोनों मामलों में) से प्राप्त निधियों के अंतरण या आहरण के लिए अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए अनजाने में बैंकों का उपयोग होने से बैंकों को बचाया जा सके, इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने प्रसंगगत विषयों पर जारी पिछले अनुदेशों का सार तैयार किया है। ये दिशा-निर्देश विदेशी मुद्रा खातों/लेनदेनों पर भी लागू होंगे। समेकित अनुदेश इस प्रकार हैं:

केवाइसी नीति

नये खातों के लिए

(i) खाता खोलने वाले किसी व्यक्ति/कंपनी की पहचान के लिए अपने ग्राहकों को जानिए संबंधी क्रियाविधि मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। ग्राहक की पहचान के लिए किसी वर्तमान खाता धारक/व्यक्ति जिसे बैंक जानता हो, के द्वारा परिचय दिये जाने पर अथवा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर सत्यापन करना आवश्यक होना चाहिए।

(ii) बैंक के निदेशक बोर्ड को ऐसी उपयुक्त नीतियां बनानी चाहिए जिससे खाता खोलने वाले व्यक्ति/कंपनी की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने के लिए क्रियाविधि का निर्माण हो सके। बोर्ड को भी चाहिए कि वह ऐसी नीतियां बनाये जिनसे खातों में संदिग्ध प्रकार के लेनदेन की निगरानी करने तथा उचित परिश्रम करने तथा इस प्रकार के लेनदेनों की सूचना देने की प्रणालियां तैयार करने के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि स्थापित की जा सके।

ग्राहक की पहचान: अपने ग्राहकों को जानिए दिशा-निर्देश के दो उद्देश्य होने चाहिए, (i) ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना और (ii) संदिग्ध लेनदेनों पर नज़र रखना। बैंक को चाहिए कि वह प्रत्येक नये ग्राहक की पहचान/विधिक अस्तित्व स्थापित करने के प्रयोजन से सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करे, जो अधिमानतः ग्राहकों द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित हो। ग्राहकों की पहचान करने का सीधा अर्थ ग्राहकों के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागजात से होगा। परंतु जहां ऐसे कागजात उपलब्ध न हों, वहां किसी वर्तमान खाताधारक द्वारा सत्यापन अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे बैंक जानता हों पहचान करना ही काफी होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपनायी गयी क्रियाविधि से बैंकिंग सेवा के प्रयोजन से आम जनता को संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो।

मौजूदा ग्राहकों के लिए : बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने अपने मौजूदा ग्राहकों के खाते खोलते समय उचित सावधानी बरती होगी और ग्राहक को जानिये संबंधी मानदंडों का पालन किया होगा। किसी चूक की स्थिति में, ग्राहक की पहचान के लिए अपने ग्राहकों को जानिए से संबंधित प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए।

नकदी लेनदेन

(i) बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के यात्री चेक, मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण और तार अंतरण केवल ग्राहक के खाते में नामे द्वारा अथवा चेक प्राप्त करके जारी करें, न कि नकद राशि प्राप्त करके। आवेदक (फिर चाहे ग्राहक हों या न हों) 50,000 रुपये से अधिक राशि के यात्री चेक, मांग ड्राफ्ट, डाक और तार अंतरण जारी करने के लिए आवेदन पत्रों पर आयकर स्थायी खाता संख्या (पीएएन) लिखें।

(ii) बैंकों को चाहिए कि वे नकद आहरणों और जमा, नकदी ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट खातों में 10 लाख रुपये और उससे अधिक की जमा राशियों पर कड़ी नज़र रखें और बड़ी राशि के ऐसे लेनदेनों का एक अलग रजिस्टर में रिकार्ड भी रखें।

(iii) बैंकों की शाखाओं को चाहिए कि वे 10 लाख रुपये और उससे अधिक की जमा राशियों और आहरणों तथा संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों की रिपोर्ट उनके पूर्ण विवरण सहित पाक्षिक विवरणियों में नियंत्रक कार्यालयों को भेजा करें। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक कार्यालयों को भी चाहिए कि वे संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों की सूचना अपने प्रधान कार्यालय को दें।

विषय सूची

	पृष्ठ
शाखा बैंकिंग	
अपने ग्राहक को जानिए	1
चेकों की राशि तुरंत जमा करने की सीमा बढ़ायी गयी	2
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
नीति	
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार	3
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए वित्त योजना	3
प्रावधानन और आस्तियों का वर्गीकरण	3
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
भारत के बाहर के घनिष्ठ रिश्तेदारों से ऋण	3
विदेश में इलाज कराना	3
निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए ईईएफसी खाता योजना	3
छोटी राशियों के प्रेषणों के लिए किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं	3
ईसीबी का पूर्व भुगतान	3
आयात का सबूत	4
शहरी बैंक	
स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम)	4
सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल ऐसेट्स	4

जोखिम प्रबंधन

गैर कानूनी और देशद्रोही गतिविधियों के लिए बैंकिंग चैनलों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए बोर्ड को इन अपेक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए:

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं : नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रभावी और वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं के संबंध में अपने ग्राहकों को जानिए कार्यक्रम के प्रति पूर्ण वचनबद्धता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना आवश्यक है। बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों को चाहिए कि वे शाखा स्तर के प्राधिकारियों के द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के पूर्णतः अनुपालन की निगरानी करें।

आतंकवादी कार्यकलापों के लिए वित्त: रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आतंकवादी गुटों की सूची बैंकों को परिचालित करता रहा है, ताकि बैंक ऐसे गुटों के साथ लेनदेनों का पता लगाने के लिए उचित सावधानी रख सकें। शाखा स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सूची में शामिल व्यक्ति/संस्था के भावी अथवा विद्यमान व्यापारिक संबंध की आशंका होते ही ऐसी सूची देख ली जाये। आतंकवादी गुटों के होने की आशंका वाले खातों के संबंध में बैंकों को किसे रिपोर्ट करना चाहिए इस संबंध में भारत सरकार से परामर्श करके सूचित किया जायेगा।

आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

(i) बड़ी राशि के लेनदेन का पता लगाने के लिए स्थापित नियंत्रण व्यवस्था के नियमित रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए।

(ii) शाखाओं के द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए संबंधी मानदंडों को लागू करने और काले धन के नियंत्रण के संबंध में किये गये उपायों की सहवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए और उनकी प्रभावकारिता पर टिप्पणी दी जानी चाहिए। ऐसी अनुपालन रिपोर्ट बैंक के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान और उसकी सूचना देना: बैंकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों के द्वारा संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना उन विधि प्रवर्तक प्राधिकारियों को दी जाती है जिन्हें संबंधित कानूनों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्राधिकारियों के द्वारा निदेश दिये जाने पर खातों के परिचालन को बंद रखने और उसकी सूचना नियंत्रक कार्यालय और प्रधान कार्यालय को देने के संबंध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील प्रकृति का विषय होने के कारण ऐसी बातों की रिपोर्टिंग बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अथवा निदेशक बोर्ड को तिमाही अंतराल पर की जानी चाहिए।

विदेशी अभिदान नियंत्रण अधिनियम (एफ सी आर ए), 1976 का पालन

(i) बैंकों को विदेशी अभिदान नियंत्रण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों से संबंधित अनुदेशों का पालन करना चाहिए। इन अनुदेशों में उन्हें सतर्क किया गया है कि वे केवल उन संस्थाओं के नाम से खाता खोलें अथवा उनके चेकों की वसूली करें जिन्हें भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है। खाता खोलते समय अथवा चेकों की वसूली के समय संबंधित संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि उसका पंजीकरण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

(ii) बैंकों की शाखाओं को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें और प्रतिबंधित संस्थाओं और उचित विधि से पंजीकृत न की गयी संस्थाओं के नाम से खाता न खोलें।

रिकार्ड रखना

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार ग्राहक संबंधों और लेनदेनों से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज तैयार करके रखे जाने चाहिए, ताकि किये गये लेनदेनों को उनके आधार पर पुनः तैयार किया जा सके। तार अंतरण द्वारा किये गये लेनदेनों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रिकार्डों और संबंधित संदेशों को उसी प्रकार माना जाना चाहिए जैसा कि खातों में प्रविष्टियों के समर्थन में अन्य रिकार्ड माने जाते हैं। वित्तीय लेनदेनों से संबंधित सभी रिकार्ड, लेनदेनों की तारीख से कम-से-कम पांच वर्ष तक रखे जाने चाहिए और लेखा-परीक्षा से संबंधित प्राधिकारियों और नियंत्रकों द्वारा मांगे जाने पर ये देखने और जांच हेतु उपलब्ध होने चाहिए।

प्रशिक्षण

बैंकों को लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ को काला धन निरोधक दिशा-निर्देशों के अनुपालन और अपने ग्राहकों को जानिए नीतियों के अनुरूप कार्यान्वयन में पदानुक्रमिक स्तर पर उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण मिल सके।

चेकों की राशि तुरंत जमा करने की सीमा बढ़ायी गयी

भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बाहरी/स्थानीय चेकों की राशि तुरंत जमा करने के बारे में अधिकतम सीमा को 7,500 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये कर दिया है।

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत किये गये बाहरी/स्थानीय चेकों की राशि तुरंत जमा करने के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें:

(i) बाहरी चेकों के मामले में सामान्य वसूली प्रभार वसूली किये जायें और स्थानीय चेकों के लिए 5 रुपये वसूल किये जायें।

(ii) बैंक को चाहिए कि वह इस बात की संतुष्टि कर लें कि ग्राहक खाते का संचालन उचित ढंग से होता है।

(iii) बैंक सभी अलग-अलग जमाकर्ताओं के उनके खाते के स्वरूप, अर्थात् बचत बैंक, चालू या नकदी ऋण खाता, के बारे में फर्क किये बिना सुविधा दे सकते हैं।

(iv) बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए न्यूनतम जमा शेष की कोई अलग शर्त निर्धारित नहीं करनी चाहिए।

(v) यह सुविधा बैंक द्वारा इस संबंध में सामान्य सावधानियों की शर्त पर बैंक के एक्सटेंशन काउंटरों पर भी ग्राहकों को उपलब्ध करायी जानी है।

(vi) ऐसे चेक के लिए तुरंत राशि जमा (क्रेडिट) करना अग्रिम प्रदान करने जैसा होगा, अत: 15,000 रुपये तक के अंकित मूल्य के ऐसे चेकों पर ब्याज न लगाने को अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जायेगा।

(vii) उस मामले में जहां 15,000 रुपये से अधिक के अंकित मूल्य का लिखत समाशोधन के लिए प्राप्त होता है और लिखत की आगम राशि, राशि की वास्तविक वसूल की तारीख के पहले किसी भी रूप में खाते में जमा की जाती है, वहां उस अवधि के लिए भी निर्दिष्ट दर (बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य सेवा प्रभारों के अतिरिक्त) पर ब्याज लगाया जायेगा, जिस अवधि में निधि ग्राहक के खाते में रही है।

(viii) चेक भुगतान हुए बिना लौट आने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुरूप उस अवधि के लिए ब्याज वसूल कर सकता है, जिस दौरान निधि बैंक के पास नहीं थी।

(क) प्रस्तुत किये गये बाहरी चेक के जमा करने की तारीख से उसके लौट आने तक अवधि के लिए ग्राहक से ब्याज नहीं लिया जाये।

(ख) चेक के आने की तारीख से संबंधित राशि बैंक को लौटायी जाने तक की अवधि के लिए बैंक ब्याज ले सकता है।

(ग) बचत बैंक खाते में जमा किये जाने की स्थिति में चेक भुगतान हुए बिना लौट आता है तो इस प्रकार जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ix) ऐसी स्थिति में बैंक जमा पर्ची के साथ इस आशय का एक नोटिस लगाने के लिए विचार कर सकता है कि चेक के भुगतान न होने की स्थिति में ग्राहक को उस अवधि के लिए ब्याज अदा करना होगा, जिस अवधि तक निधि बैंक में नहीं होती है।

(x) इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में प्रत्येक शाखा में स्पष्ट रूप से सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि समूह बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तपोषण किये जानेवाले स्वरोजगारी की अधिकतम आयु, ऋण की स्वीकृति के समय 60 वर्ष होनी चाहिए। अलबत्ता, बीमा कवरेज पांच वर्ष या जब तक ऋण की चुकौती नहीं की जाती, जो भी पहले हो, फिर चाहे ऋण की स्वीकृति के समय स्वरोजगारी की आयु कितनी भी हो, तक होगा।

नीति

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र : रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) को सूचित किया है कि वे एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों को वित्तपोषण हेतु दिये गये अग्रिम कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करें। तदनुसार, इस तरह के अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि हेतु किसानों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण के रूप में शामिल किये जाने के लिए पात्र होंगे।

इससे पूर्व एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत ऋषि को परोक्ष वित्त के रूप में माना जाता था।

खुदरा व्यापार : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत खुदरा व्यापारियों को दिये जाने बैंक अग्रिमों की वर्तमान 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है। यह वृद्धि सामान की लागत तथा उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए की गयी है।

व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति : व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये जानेवाले अग्रिमों की 5 लाख रुपये की वर्तमान उच्चतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है। इसमें से 2 लाख रुपये से अनधिक कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं के लिए हैं। व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यावसायियों को अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय आरंभ करने हेतु 15 लाख रुपये उच्चतम सीमा के साथ कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा की उप सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इसके अलावा, अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी को उपर्युक्त संशोधित उच्चतम सीमा के अंतर्गत मोटर वाहन की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम को भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में माना जायेगा, अलबत्ता, अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के अतिरिक्त व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को मोटर वाहन की खरीद हेतु स्वीकृत अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए वित्त योजना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं/डीलरों से उपलब्ध डिस्काउंट के समायोजन के माध्यम से ऋणकर्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए कम/शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम प्रदान करने जैसे कार्य न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विभिन्न प्रोत्साहन आधारित किसी विज्ञापन के साथ किसी भी रूप में/प्रकार से अपने नाम न जोड़ें जहां ब्याज दर के संबंध में स्पष्टता नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि कुछ बैंक लिए कम/शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम प्रदान करने की योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे और उन्हें समाचार पत्रों और मीडिया में प्रसारित कर रहे थे। ऐसी ऋण योजनाओं में परिचालनों की पारदर्शिता नहीं थी तथा ऋण उत्पादों के मूल्यन-तंत्र को विकृत किया जा रहा था। ये उत्पाद लागू ब्याज दरों के संबंध मे ग्राहकों को स्पष्ट चित्र भी नहीं दे रहे थे।

रिज़र्व बैंक के अगस्त 2001 के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋणों पर उनकी मूल ऋण दर (पी एल आर) से कम दर पर ब्याज नहीं लगाना है, ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हो।

प्रावधानन और आस्तियों का वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि 31 मार्च 2005 से आस्ति को उस स्थिति में संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह आस्ति वर्तमान के 18 महीने के बजाये 12 महीने तक अवमानक श्रेणी में रही हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चार वर्षों की अवधि में, न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रति वर्ष, का अतिरिक्त प्रावधानन बाद में करने अनुमति दी जाती है।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

भारत के बाहर के घनिष्ठ रिश्तेदारों से ऋण

अब निवासी, भारत के बाहर रहनेवाले अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों से 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि उधार ले सकते हैं। ऋण ब्याजमुक्त होगा और एक वर्ष के बाद चुकाना होगा।

इससे पूर्व निवासियों को भारत के बाहर रहनेवाले घनिष्ठ रिश्तेदारों से 250,000 अमेरिकी डॉलर तक उधार लेने की सामान्य अनुमति होती थी, बशर्ते ऋण ब्याजमुक्त होता और सात वर्ष से पहले चुकाया न जाना होता। रिज़र्व बैंक को प्राप्त अभिवेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे ऋणों की चुकौती की न्यूनतम अवधि कम करके एक वर्ष की जाए।

विदेश में इलाज कराना

प्राधिकृत व्यापारी अब आवेदक द्वारा, आवश्यकता के संबंध में दी गयी घोषणा के आधार पर, डॉक्टर अथवा अस्पताल से किसी अनुमान के लिए आग्रह किये बिना भारत से बाहर चिकित्सकीय इलाज के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह की विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान चेक द्वारा अथवा आवेदक के खाते में नामे लिख कर किया जा रहा हो।

इससे पूर्व निवासी भारत से बाहर चिकित्सकीय इलाज के लिए, इलाज में होनेवाले संभावित व्यय देते हुए डॉक्टर अथवा अस्पताल से एक अनुमान (एस्टीमेट) प्रस्तुत करने पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा खरीद सकते थे।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए ईईएफसी खाता योजना

निर्यातोन्मुख इकाइयों को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा ईईएफसी खाता योजना को तर्कसंगत बनाने के एक और उपाय के रूप में अब यह निर्णय लिया गया है कि ईईएफसी खाताधारकों की अब केवल दो ही श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी उन खाताधारकों की होगी जो अपनी प्राप्तियों के 100 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं और दूसरे जो अपनी प्राप्तियों के 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं।

तदनुसार, (क) एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (ईपीज़ेड) अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क (एसटीपी) अथवा (ग) इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क (ईएचटीपी) में स्थित कोई सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई अब अपनी विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के 100 प्रतिशत तक अपने ईईएफसी खाते में जमा कराने के लिए पात्र होगी जबकि जमा करने की मौजूदा पात्रता 70 प्रतिशत तक थी।

इससे पूर्व प्राप्तियों के सौ प्रतिशत तक जमा करने की सुविधा केवल हैसियत रखने वाले निर्यातकों तथा ऐसे व्यावसायिकों को उपलब्ध थी जो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में भारत से बाहर की इकाइयों को सेवाएं दे रहे थे। इस उदारीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की अपनी प्राप्तियों के सौ प्रतिशत तक अपने ईईएफसी खाते में जमा करने की सुविधा अब हैसियत वाले निर्यातकों, व्यावसायिकों, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा ईपीज़ेड/एसटीपी/ ईएचटीपी में स्थित इकाइयों को भी उपलब्ध रहेगी।

छोटी राशियों के प्रेषणों के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी है कि वे 500 अमेरिकी डॉलर तक की मुद्रा, निवासी व्यक्तियों से एक सादे पत्र के आधार पर जारी करें। इस पत्र में मूलभूत जानकारी, उदाहरण के लिए आवेदन का नाम और पता, हिताधिकारी का नाम और पता, भेजी जानेवाली राशि और राशि भेजने का प्रयोजन आदि दिये गये हों।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भेजी जानेवाली राशि 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है और भुगतान आवेदक के खाते पर आहरित चेक द्वारा अथवा मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा है तो किसी भी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है।

ईसीबी का पूर्व भुगतान

बाह्य वित्तीय बाज़ारों को तथा कार्पोरेटों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के पूर्व भुगतान के लिए स्वचालित रूट को और अधिक उदार बनाया गया है।

आवेदक अब किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्रोत उदाहरण के लिए, बैंक, निर्यात ऋण दात्री एजेंसी, उपस्करों के सप्लायर, विदेशी कोलेबोरेटर, विदेशी ईक्विटी धारक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार आदि से ईसीबी उठा सकते हैं। अलबत्ता, मान्यता प्राप्त से इतर संस्थाओं से उठाये गये ईसीबी की अनुमति नहीं होगी भले ही राशि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो।

100 मिलियन डॉलर तक

इस प्रयोजन के लिए कि कापेरिट निचली अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों का लाभ उठा सकें, रिज़र्व बैंक ने इसके पूर्व के अनुदेशों को खारिज करते हुए यह अनुमति देने का निर्णय लिया है कि कोई उधारकर्ता, जिसने मौजूदा नियमावली/विनियमावली/

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2002
28 सितम्बर तथा 30 सितम्बर 2002 को भायखला डँटनी डाक घर से प्रेषित

दिशानिर्देशों के अनुसरण में बाह्य वाणिज्यिक उधार उठाये हैं, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि का पूर्व भुगतान कर सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उदारीकृत स्वचालित रूट उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है भले ही बकाया ऋण की परिपक्वता अवधि अथवा प्रतिशतता कुछ भी हो। शर्त यह है कि पूर्व भुगतान की जा रही राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पूर्व यह सुविधा कुछेक शर्तों, उदाहरण के लिए बकाया परिवक्वता अवधि का एक वर्ष अधिक का न होना आदि पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्व भुगतान के लिए उपलब्ध थी।

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे कम्पनी सचिव/उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद कि उधारकर्ता ने (क) ईसीबी का लाभ सभी संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों/विनियमावलियों तथा दिशानिर्देशों के अनुसरण में उठाया है, तथा (ख) उसने रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईसीबी विवरणी -2 प्रस्तुत कर दी है, ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए इस प्रकार के प्रेषण की अनुमति दे सकती हैं।

प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेषण के 7 दिन के भीतर निर्धारित फार्म में पूर्व भुगतान के पूरे ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को देंगे।

100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उधारकर्ता रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को पूरे ब्यौरों, उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान की शर्तें, अवधि जिसके दौरान पूर्व भुगतान किया जाना है और क्या उधारकर्ता के साथ पूर्व भुगतान के लिए सिद्धांत रूप में करार कर लिया गया है, के साथ आवेदन करें।

यह भी कि रिज़र्व बैंक से सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक कार्पोरेट पूर्व भुगतान करार तय करने से पूर्व रिज़र्व बैंक से संपर्क करें। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जानेवाले सिद्धांत रूप में अनुमोदन 15 दिन के लिए वैध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता अथवा विदेशी प्रत्यक्ष आवक प्राप्तियों में रखी शेष राशियों में से ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक की सिद्धांत रूप में अनुमोदन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो।

ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए स्वचालित रूट के अंतर्गत यह सुविधा 31 मार्च 2003 तक उपलब्ध होगी। यदि योजना को और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में उस तारीख को या उससे पूर्व नये अनुदेश जारी किये जायेंगे।

स्वचालित रूट के अंतर्गत योग्यता

उधारकर्ता, वित्तीय वर्ष के दौरान स्वचालित रूट के अंतर्गत अधिकतम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा सकता है। यदि उधारकर्ता एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाता है, तो 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए अधिकतम औसतन परिपक्वता अवधि तीन वर्ष होगी। 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि के लिए औसतन परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी।

हालांकि कंपनी अधिनियम, सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वामित्त्वधारी/भागीदारी कंपनी सहित कोई भी कानूनी कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकती है, यह स्पष्ट किया जाता है कि अलग-अलग व्यक्ति, न्यास और अलाभकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए पात्र नहीं हैं।

आयात का सबूत

यह निर्णय लिया गया है कि जहां भारत में आयात के लिए प्रेषित/अदा की गयी विदेशी मुद्रा का मूल्य 25,000 अमेरिकी डॉलर या उससे बराबर की राशि से अतिरिक्त होता है, तो जिस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण किया गया था उसके लिए यह अनिवार्य है कि आयातक से दस्तावेज़ी सबूत प्राप्त करे। इससे पहले यह राशि 5000 अमेरिकी डॉलर थी।

जहां आयात के लिए प्रेषित विदेशी मुद्रा की राशि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर हो, प्राधिकृत व्यापारी आंतरिक उपभोग के लिए या तो आयात पत्र की विदेशी मुद्रा प्रति या कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या लेखा-परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि जिन वस्तुओं के लिए प्रेषण किया गया था, उन्हें वास्तविक रूप से भारत में आयात किया गया है, बशर्ते :

(i) आयातक, भारत के शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनी हो और पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी निवल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम न हो;

या

(ii) आयातक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या भारत सरकार या उसके विभागों का उपक्रम हो।

शहरी बैंक

स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम)

समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को छोड़ कर) जो शाखा ऑटोमेटेड टेलर मशीनें लेगाना चाहते हैं उनके लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करनेवाले बैंक आवेदन करने के पात्र होंगे :

- अनुमति मांगने के समय प्रचलित रहनेवाला, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर स्तर रखा हो।
- आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड बनाये रखा हो।
- बैंक का शुद्ध एनपीए उसके शुद्ध अग्रिमों के 10 प्रतिशत से कम हो।
- बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया हो।

सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल ऐसेट्स

भारत सरकार ने सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल ऐसेट्स के विनियमन और ऐसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी और सिक्यूरिटाइज़ेशन कंपनी के सिक्यूरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए 21 जून 2002 को एक अध्यादेश जारी किया था। चूंकि अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गयी थी, उसे 21 अगस्त 2002 को पुन: लागू किया गया। यह अध्यादेश 'सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल ऐसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आर्डिनेन्स (2) 2002' के नाम से जाना जाता है और यह संपूर्ण भारत के लिए लागू है तथा तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। नये अध्यादेश को लागू किये जाने से बैंक पर आये उत्तरदायित्व के निर्वाह में रिज़र्व बैंक ने सभी संबंधित मामलों की जांच करने और अध्यादेश में उलिलखित विशिष्ट मामलों पर मार्गदर्शी सिद्धांत तेयार करने में उपाय सुझाने के लिए दो कार्य दल गठित किये हैं।

ऐसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ तथा सिक्यूरिटाइज़ेशन कंपनीज् के लिए पंजीकरण तथा विवेकशील मानदंडों पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए श्री सी. एस. मूर्ति, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है, जबकि ऐसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ तथा सिक्यूरिटाइज़ेशन कंपनीज़ द्वारा आस्तियों को ग्रहण करने तथा दिशानिर्देश तैयार करने के लिए श्री एन. सदाशिवन, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में दूसरा कार्यदल गठित किया गया है। दोनों कार्यदलों की सिफारिशें सितंबर 2002 के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**